



# कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर-जयपुर)  
झिलाई (निवाई)- 304025 टोंक (राजस्थान)

Dr. R. P. Jat  
DEAN

Ph. No. 09414416121; 09413119804  
Email: [dean.coajhilai@sknau.ac.in](mailto:dean.coajhilai@sknau.ac.in)

No.F. /COAJ/Sanc/2021/441-44


दिनांक : 19-01-2022

## खुली बोली/निलामी निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, झिलाई के कृषि फार्म हरिपुरा, सिरौही रोड़ पर 700 छोटे बड़े विलायती व देशी बबूल तथा कांटेदार झाड़ियों सहित कई पेड़-पौधों को जड़ों सहित उखाड़ कर ले जाने की खुली बोली द्वारा निलामी की जायेगी, अतः जो भी सज्जन निलामी में भाग लेना चाहे वो फार्म का निरीक्षण कर दिनांक 27.01.2022 को दोपहर 2:00 बजे कॉलेज कार्यालय में उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। खुली बोली पर अल्पकालीन निलामी निविदा की सभी शर्तें विश्वविद्यालय की वेबसाइट [www.sknau.ac.in](http://www.sknau.ac.in) पर अथवा कॉलेज से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान दिनांक 27.01.2022 को प्रातः 11:00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।

## निलामी की शर्तें निम्न प्रकार होगी :-

1. विलायती व देशी बबूल तथा कांटेदार झाड़ियों को किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में आकर देख सकते हैं।
2. विलायती व देशी बबूल तथा कांटेदार झाड़ियों को उखाड़ने से होने वाले खड्डों को उसी समय समतल करना होगा।
3. पेड़ उखाड़ने का समय बोली छुटने से 45 दिन तक का होगा।
4. बोली लगाने वाले ठेकेदार/फर्म को अमानत राशि 5000 रुपये नगद/डी.डी./Online द्वारा "अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, झिलाई" के नाम से जमा करवानी होगी।
5. जिस ठेकेदार/फर्म की बोली छुटेगी उसको अमानत राशि का समायोजन करते हुये कुल राशि का 50% राशि उसी दिन जमा कराना होगा तथा पेड़ उखाड़ने के उपरान्त फार्म से पेड़ों को ले जाने से पूर्व शेष राशि जमा करना होगा।
6. यदि नियमानुसार कार्य नहीं किया गया तो जमा की गई बोली की राशि व अमानत राशि जप्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
7. बोली छुटने के उपरान्त पेड़ों की जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की होगी।
8. बोली मान्य व अमान्य करने का पूर्ण अधिकार निविदा कमिटी को होगा।
9. बोली लगाने वाले ठेकेदार/फर्म का बैंक में खाता होना आवश्यक हैं।

  
अधिष्ठाता

## प्रतिलिपी :-

1. श्रीमान निजी सचिव, माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान अधिष्ठाता व संकाय अध्यक्ष, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. श्रीमान वित्त नियंत्रक/मनोनीत सदस्य, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
4. श्रीमान वन विभाग अधिकारी, निवाई (टोंक)।
5. श्रीमान तहसीलदार, कार्यालय – निवाई (टोंक)।
6. श्रीमान कन्वेनर निलामी कमिटी व सदस्य निलामी कमिटी-डॉ. उदल सिंह/डॉ. रानी सक्सेना/डॉ. डी. के. बैरवा/श्री प्रेमचन्द कुमावत।
7. श्रीमान प्रभारी सीमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेख है कि सुचना विश्वविद्यालय वेबसाइट पर upload करवायें।
8. सूचना पट्ट, ग्राम पंचायत – झिलाई, निवाई (टोंक)।
9. टेण्डर फाईल।

  
अधिष्ठाता